परिशिष्ट- "अ"

विधान सभा अता. प्र.क्र.- 6191

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2550294, Fax-0755-2550294
Email:- mayank@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक-एक/स्था/17/अनु.नि/नि./12/ 7561 **भोपाल दिनांक...29../05/2015**

प्रति,

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका परिषद सबलगढ़,
जिला - मुरैना, मध्यप्रदेश

विषय:- विधान सभा सत्र फरवरी-अप्रैल 2012 के अतारांकित प्रश्न क्रमांक-5535 पर निर्मित आश्वासन क्रमांक-704 की पूर्ति :- नगरपालिका परिषद सबलगढ़ में हुई गलत अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में।

---00---

विधान सभा प्रश्न क्रमांक-5535 पर निर्मित आश्वासन क्रमांक-704 की प्रति संलग्न है। प्रकरण में उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास ग्वालियर से जांच करायी गयी। उप संचालक ग्वालियर के जांच प्रतिवेदन क्रमांक-4504 ग्वालियर दिनांक 18/09/2014 की प्रति सहपत्रों सहित संलग्न प्रेषित हैं। जाचं प्रतिवेदन के अनुसार श्री प्रदीप कुमार शर्मा की नगरपालिका परिषद सबलगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति विधिक प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत पाई गई है।

2. नगरपालिका सबलगढ़ द्वारा श्री प्रदीप कुमार शर्मा को नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुये सेवा से पृथक करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर, पालन प्रतिवेदन शासन एवं संचालनालय को एक सप्ताह में आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

<u>संलग्न-उपरोक्तानुसार</u>
(अपर आयुक्त द्वारा आदेशित)

(मयंक वर्मा) 29/5/15
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास

क्रमांक-एक/स्था/17/अनु.नि/नि./12/ 7562 भोपाल दिनांक..29../05/2015

प्रतिलिपि :- उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सबलगढ़ से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर संचालनालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन ... विभाग

29/5/15
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास

परिशिष्ट "ब"

पी. आई. सी. संकल्प क्र. 01 दिनांक 28.11.2015

प्रस्ताव– माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के आदेश पालन में श्री प्रदीपकुमार शर्मा की अनुकम्पा नियुक्ति पर बिचार।

ठहराव–

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि श्री प्रदीपकुमार शर्मा राजस्व उप निरीक्षक की अनुकम्पा नियुक्ति म.प्र. शासन स्थानीय शासन के आदेश क्रमांक/3470/18/1/75 दिनांक 03.09.1975 एव प्रशासक संकल्प क्र. 240 दिनांक 10.07.92 के पालन में नगर पालिका परिषद सबलगढ़ के आदेश क्र. 655 दिनांक 10.07.92 के द्वारा भृत्य के पद पर की गई थी श्री शर्मा के नियुक्ति आदेश की प्रति तत्समय संचालक महोदय भोपाल, उप संचालक महोदय ग्वालियर को नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा भेजी गई थी म. प्र. शासन स्थानीय शासन के आदेश क्र 3470/18/1/75 दिनांक 03.09.75 को म. प्र. शासन स्थानीय शासन विभाग के आदेश क्र. एफ–4/233/18/1/89 दिनांक 19.03.90 के द्वारा निरस्त किया गया था जिसकी सूचना किसी भी नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को नहीं दी गई थी श्री शर्मा की नियुक्ति संबंधी सेवा पुस्तिका नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा तत्समय तैयार नहीं की गई सेवा पुस्तिका नियुक्तिकर्ता अधिकारी के बाद तत्समय के पदस्थ सी. एम. ओ. के द्वारा की गई थी।

श्री शर्मा की प्रथम पदोन्नति जिला चयन समिति ग्वालियर के प्रस्ताव क्र. 22 दिनांक 31.12.94 के द्वारा भृत्य के पद से मोहर्रिर के पद पर निकाय के आदेश क्र. 1232 दिनांक 31.12.94 के द्वारा की गई थी। म. प्र. शासन स्थानीय शासन विभाग के आदेश क्र. एफ–4/233/18/1/89 दिनांक 19.03.90 संशोधित आदेश की जानकारी उप संचालक महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास ग्वालियर के द्वारा होने के बाद भी श्री शर्मा की पदोन्नति की गई।

श्री शर्मा की प्रथम पदोन्नति की जॉच हेतु संचालक महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल को तत्समय शिकायत की गई जिसकी जॉच हेतु उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास ग्वालियर को वरिष्ट कार्यालय द्वारा जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया जिसमें उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास ग्वालियर द्वारा नगर पालिका सबलगढ़ से जॉच हेतु रिकार्ड प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये गये उक्त आदेश के पालन में नगर पालिका सबलगढ़ में रिकार्ड भेजने हेतु प्रकरण क्र. 01/95/02/07 पंजीबद्ध किया जाकर समय–समय पर जॉच हेतु रिकार्ड संचालनालय नगरीय प्रशासन के पत्र क्र. 16/95/1/8823 दिनांक 21.06.1995 के पालन में नगर पालिका सबलगढ़ के पत्र क्र. 918 दिनांक 14.07.1995 के द्वारा संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास म. प्र. भोपाल को एवं उप संचालक कार्यालय ग्वालियर में भेजा गया जिसमें उप संचालक द्वारा दिनांक 06.03.1995 से दिनांक 04.07.2005 तक 10 बर्ष की अवधि से अधिक जॉच की गई।

श्री शर्मा की द्वितीय पदोन्नति जिला चयन समिति ग्वालियर के प्रस्ताव क्र. 15 दिनांक 24.09.2003 के द्वारा सहायक राजस्व निरीक्षक के पद से राजस्व उप निरीक्षक के पद पर निकाय के आदेश क्र. 942 दिनांक 26.09.2003 के द्वारा पदोन्नति की गई।

श्री शर्मा को पदोन्नति उपरान्त शासन एवं वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिनांक 05.10.2006 से समय–समय पर निरंतर प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी का प्रभार दिया गया है।

उपरोक्त सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि श्री प्रदीपकुमार शर्मा राजस्व उप निरीक्षक का कोई दोष नहीं है अनुकम्पा नियुक्ति होने के बाद प्रथम पदोन्नति की 10 बर्ष से अधिक जॉच आदि उप संचालक कार्यालय ग्वालियर द्वारा की गई थी श्री शर्मा की अनुकम्पा नियुक्ति एवं प्रथम तथा द्वितीय पदोन्नति के लिये उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास ग्वालियर एवं जिला चयन समिति पूर्ण रूप से दोषी है क्योंकि शासन के संसोधित आदेश दिनांक 19.03.1990 की जानकारी उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास ग्वालियर के संज्ञान में होने के बाबजूद भी इनकी अनुकम्पा नियुक्ति से प्रथम एवं द्वितीय पदोन्नतियॉ की गई थी श्री शर्मा का कोई दोष प्रतीत नहीं होने से इनके खिलाफ कोई जॉच नहीं की जावे। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है।

अध्यक्ष का मत–मेरा मत है कि शासन आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के डब्ल्यू पी न 3577/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.06.15 के पालन में अबैध अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त की जावे तथा की गई पदोन्नति निरस्त की जावे शासन और माननीय न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके एवं श्री शर्मा को 10 दिवस के नोटिस पर आगामी पी. आइ. सी. में सुना जावे।

सत्य प्रतिलिपि–

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर पालिका परिषद सबलगढ़

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग